प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 07.08.2024

स्वाट टीम नगर जोन व थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा एमएमजी अस्पताल गाजियाबाद से दिनांक 05.08.2024 को 04 माह (नवजात बच्चा) को अपहरण कर ले जाने वाले गैंग का टीम द्वारा प्राप्त सूचना के 10 घण्टे के अन्दर पर्दाफाश कर घटना का सफल अनावरण करते हुए नवजात बच्चे को सहकुशल बरामद कर बच्चे की माँ के सुपुर्द किया गया तथा घटना कारित करने वाले 01 पुरुष व 04 महिला मय टैम्पू न0 UP14CT4262 व टैम्पू चालक सहित गिरफ्तार

दिनांक 06.08.2024 को वादी विक्की प्रजापति पुत्र स्व0 श्री विनोद निवासी महरौली अम्बेडकर मूर्ति के पास थाना वेव सिटी गाजियाबाद ने थाना आकर तहरीर दी कि दिनांक 05.08.2024 समय 12.30 बजे वादी की पत्नी अपने चार माह नवजात बेटे अपनी सहेली कविता के साथ महरौली अन्दर पास से टैंम्पू से जिला एमएमजी अस्पताल इलाज कराने हेतु आयी थी उसी टैम्पू मे पहले से एक महिला बैठी थी। कविता ने टैम्पू मे बैठी महिला को वादी की पत्नी से उसका नवजात बच्चा दिलवा दिया। वादी की पत्नी शायना उर्फ श्रृष्टि को पर्ची बनवाने के बहाने काउन्टर पर ले गयी। जैसे ही वापस आयी देखा उसका नवजात बच्चा, महिला, चालक मय टैम्पो सहित एमएमजी अस्पताल से फरार हो गये। सूचना पर वादी की तहरीर पर तत्काल थाना कोतवाली नगर पर अभियोग पंजीकृत किया गया है।

कार्यवाही का विवरणः- उपरोक्त सनसनी खेज घटना का सफल अनावरण हेतु पुलिस उपायुक्त नगर महोदय के निर्देशन मे सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली द्वारा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली व नगर जोन टीमों का गठन किया गया। टीमों द्वारा अथक प्रयास मैनुअल इन्टेलीजेन्स, लोकल इनपुट व सीसीटीवी कैमरो की मदद से दिनांक 06.08.2024 को 04 माह नवजात वादी के बच्चे को 10 घण्टे के अन्दर घटना का सफल अनावरण करते हेतु सकुशल बरामद कर बच्चे के माता पिता को सुपुर्द किया गया। घटना मे प्रकाश मे आये अभियुक्तगण के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता अभियुक्तगण

1- लोकेश अरोडा पुत्र सोमनाथ अरोडा निवासी किरायेदार राकेश कुमार त्यागी पीपल वाली गली म0न0 एफ 423 नीयर जामा मस्जिद संजय नगर सैक्टर 23 थाना मधुबन बापूधाम गाजियाबाद।

2- कविता अरोडा पत्नी लोकेश अरोडा निवासी किरायेदार राकेश कुमार त्यागी पीपल वाली गली म0न0 एफ 423 नीयर जामा मस्जिद संजय नगर सैक्टर 23 थाना मधुबन बापूधाम गाजियाबाद।

3- सुलेखा देवी पत्नि मिथलेश मण्डल निवासी म0न0 19 दोलतराम कालोनी दादरी थाना दादरी गौतमबुद्धनगर मूल पता ग्राम बेला बबरोली थाना पजगेछिया जिला सहरसा बिहार।

4- फूल बाई पत्नी विनोद अहिरवार निवासी जयवीर का किराये का मकान अम्बेडकर मूर्ति के पास महरौली थाना वेव सिटी गाजियाबाद

5- कविता पुत्री विनोद निवासी जयवीर का किराये का मकान अम्बेडकर मूर्ति के पास महरौली थाना वेव सिटी गाजियाबाद।

आपराधिक इतिहासअभियुक्त – प्रकरण के संबंध उपरोक्त अभियुक्तगण पर 01अभियोग थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत है। तथा अभियुक्तगणो के पूर्व अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्तगणो से पूछताछ पर बताया कि फरार अभियुक्त लतीफ अभियुक्ता फूलबाई का प्रेमी है। फूलबाई के पास ही रहने वाली श्रृष्टि को 04 माह पूर्व बच्चा पैदा हुआ था तभी से लतीफ और फूलबाई की नजर बच्चे को उसकी मां श्रृष्टि के पास से हटाकर अपहरण करके बेचने की थी। इसी योजना के क्रम मे फूलबाई ने अपनी बेटी कविता को दिनांक 05.08.24 को श्रृष्टि के साथ इलाज हेतु एमएमजी हास्पिटल आटो से भेजा था तथा आटो लतीफ की योजना अनुसार लोकेश चला रहा था तथा टैम्पो मे एक महिला सविता पहले से बैठी थी। बच्चे को एमएमजी के गेट पर ही ऑटो मे पूर्व से बैठी सविता को फूलबाई की बेटी कविता ने योजना अनुसार श्रृष्टि के बच्चे को सविता को दिला दिया था। सविता और आटो चालक लोकेश बच्चे को अपहरण कर एमएमजी से लेकर अपने घर संजयनगर चले गये थे। वहां से बच्चे को बेचने की योजना बनाकर बच्चे को बेचने के लिए ले जा रहे थे तभी पुलिस ने पकड लिया था। इससे पूर्व भी अभियुक्तगण द्वारा तीन माह पहले एक बच्चा झुग्गी झोपडी थाना क्षेत्र मधुबन बापूधाम से अपहरण करके बेच देने की बात बतायी गयी है।

बरामदगी

1- 04 माह का नवजात बच्चा

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

स्वाट टीम नगर जोन

थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम

थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित 25 हजार रुपये का ईनामिया अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 26.07.2024 को आवेदक सौरभ पुत्र रामकुमार उर्फ बबलू निवासी ग्राम कलछीना थाना भोजपुर गाजियाबाद ने थाना मोदीनगर पर एक तहरीर दी कि अभियुक्त अमित पुत्र वीर सिंह गुर्जर निवासी सीकरी खुर्द थाना मोदीनगर गाजियाबाद द्वारा अपने सह-अभियुक्तों के साथ मिलकर आवेदक सौरभ व उसके पिता रामकुमार उर्फ बबलू को घर जाते समय सीकरी फाटक पर गोली मार देना जिससे आवेदक के पिता रामकुमार उर्फ बबलू की गोली लगने के कारण मृत्यु हो जाना तथा आवेदक सौरभ के गोली लगने के कारण गम्भीर रुप से घायल हो जाना। जिसके सम्बन्ध में थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा तत्काल सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमें लगाई गई। तत्पश्चात दिनांक 26.07.2024 को ही एसओजी टीम ग्रामीण जोन व थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा संयुक्त कार्रवाई कर उपरोक्त घटना कारित करने वाले अभियुक्तों राहुल, अमित, आशू पुत्रगण वीर सिंह निवासीगण सीकरी खुर्द थाना मोदीनगर गाजियाबाद को घटना में प्रयुक्त पिस्टल, तमंचा व मोटर साइकिल सहित गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया।

दिनांक 06-08-2024 को थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त घटना में वांछित 25 हजार रूपये का ईनामिया अभियुक्त राजेन्द्र पुत्र इच्छा सिंह निवासी ग्राम सीकरी खुर्द थाना मोदीनगर गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण– पूछताछ करने पर अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मृतक रामकुमार उर्फ बबलू से हमारी पुरानी मुकदमेबाजी की रंजिश थी जिसका बदला लेने के लिए मैंने अपने परिवार वालों के साथ मिलकर सीकरी फाटक पर गोली मारकर रामकुमार उर्फ बबलू की हत्या कर दी तथा रामकुमार उर्फ बबलू का पुत्र सौरभ गोली लगने के बाद मौके से भाग गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता-

राजेन्द्र पुत्र इच्छा सिंह निवासी ग्राम सीकरी खुर्द थाना मोदीनगर, गाजियाबाद, उम्र 40 वर्ष

अपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

1. मु.अ.सं.- 181/2024 धारा-147/148/149/452/323/325/336/504/506 IPC व 3(2)(v) SC/ST एक्ट

2. मु.अ.सं.- 517/2024 धारा 191(2)/191(3)/190/103(1)/109 बी.एन.एस. 3(2) (v) SC/ST ACT व 3/25/27 आर्म्स एक्ट

गिरफ्तारी करने वाली टीम

थाना मोदीनगर पुलिस टीम

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 किलो 330 ग्राम अवैध गांजा व अवैध गांजा बेचने से सम्बन्धित 750/- रुपये बरामद।

आज दिनांक 07.08.2024 को थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर 01 अभियुक्त मुसर्रफ पुत्र असांर निवासी बी-124 विक्रम एन्कलेव शालीमार गार्डन एव मूल पता ग्राम भीकनपुर थाना बाबूगढ जिला हापुड उम्र करीब 23 वर्ष को कब्रिस्तान के पास पप्पू कॉलोनी शालीमार गार्डन से 01 किलो 330 ग्राम अवैध गांजा व अवैध गांजा बेचने से सम्बन्धित 750/- रुपये सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त मुसर्रफ पुत्र असांर उपरोक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

गिरफ्तार अभियुक्त मुसर्रफ पुत्र असांर उपरोक्त द्वारा पूछताछ में बताया गया कि यह रूपये मैंने गांजा बेचकर कमाये हैं। ये गांजा मुझे पिकीं पत्नी आजाद निवासी डी ब्लाक सीमापूरी देती है। जिसे मैं कब्रिस्तान, तिकोना पार्क के आस पास नशा करने वाले व्यक्तियों को बेचता हूं और गांजा बेचने से प्राप्त पैसो को पिकीं उपरोक्त मुझसे ले जाती हैं। और गांजे को बेचने के बदले मुझे प्रति दिन के 700/- रूपये देती हैं। जिससे मैं अपना खर्चा चलाता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

मुसर्रफ पुत्र असांर निवासी बी-124 विक्रम एन्कलेव शालीमार गार्डन एव मूल पता ग्राम भीकनपुर थाना बाबूगढ जिला हापुड उम्र करीब 23 वर्ष।

बरामदगी का विवरण

- 01 किलो 330 ग्राम अवैध गांजा व अवैध गांजा बेचने से सम्बन्धित 750/- रुपये बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

गिरफ्तार अभियुक्त मुसर्रफ पुत्र असांर उपरोक्त के विरुद्ध थाना शालीमार गार्डन पर मारपीट व एनडीपीएस एक्ट से सम्बन्धित 02 अभियोग पंजीकृत हैं।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम।